स्वाधीनता दिवस समारोह–2025
<u>अति–आवश्यक/आज ही जारी हो।</u>

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषयः–स्वाधीनता दिवस समारोह–2025 के अवसर पर योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किए जाने बाबत्।

स्वाधीनता दिवस समारोह–2025 के अवसर पर राजस्थान सिविल सेवा (ईनाम, योग्यता पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाना) नियम, 1973 के नियम–7 के अन्तर्गत जिला कलक्टर्स, राज्य सरकार तथा सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/मण्डलों/बोर्ड/जिला परिषद इत्यादि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैः–

1. विभाग द्वारा अपने स्तर पर विगत सात वर्षों (वर्ष 2018–2019 से 2024–25) के गोपनीय प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाकर न्यूनतम दो वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन **"उत्कृष्ट"** श्रेणी तथा शेष **"बहुत अच्छा"** श्रेणी के होने पर ही प्रस्ताव वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सहित प्रेषित किए जावें। अन्यथा प्रस्ताव को अपूर्ण मानकर उस पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव की सिफारिश व विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर, सुस्पष्ट आठ प्रतियों में प्रेषित करें।
3. प्रस्ताव के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र के सभी बिन्दुओं की प्रविष्टियाँ पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रस्ताव के साथ उल्लेखनीय सेवा/कार्य का संक्षिप्त विवरण, जो लगभग एक पृष्ठ से अधिक नहीं हो, हिन्दी भाषा में आठ प्रतियों में स्वच्छ टंकित कर संलग्न करें।
5. राजपत्रित अधिकारियों/अराजपत्रित कर्मचारियों के अलग–अलग प्रस्ताव भेजें।
6. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के प्रस्ताव, संबंधित विभागीय अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव के माध्यम से भेजे जावें।
7. प्रपत्र के बिन्दु संख्या–5 का प्रमाणीकरण अभिलेख के आधार पर सुनिश्चित करें।
8. एक विभाग से अधिकतम 2 राजपत्रित अधिकारियों व 2 अराजपत्रित कर्मचारियों के नाम योग्यता प्रमाण–पत्र के लिए प्रस्तावित किये जावें।
9. सहकारी संस्था/नगरपालिका/निगम/मण्डल/बोर्ड/जिला परिषद से अधिकतम एक ही अधिकारी या कर्मचारी का प्रस्ताव भेजें।
10. पूर्व में योग्यता प्रमाण–पत्र से सम्मानित जिला कलक्टर/अधिकारी/कर्मचारी के प्रस्ताव नही भेजे जावें तथा यह भी प्रमाणित करें कि इन्हें पूर्व में योग्यता प्रमाण–पत्र से सम्मानित नहीं किया गया है।
11. प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्रेषित करते समय यह उल्लेखित किया जावे कि इस प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पिछले 7 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर लिया गया है।

Signature valid

Digitally signed by Jogaram
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.06.18 14:34:32 IST
Reason: Approved

अतः कृपया आपके अधीन नियोजित जिला कलक्टर्स, अधिकारियों/कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण–पत्र दिये जाने हेतु उनके सेवाकाल के संबंध में विवरण तथा उनकी सेवाऐं किस प्रकार असाधारण रूप से उपयोगी सिद्ध हुई, के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर, प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र में **दिनांक 25 जुलाई, 2025 तक अवश्यमेव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।** ताकि यथा समय उन पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। **निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।**

संलग्नः प्रपत्र।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव।

अशा0 टीप क्रमांकः प0 25(2)मं.म./2025–02289–7682280
जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्य मंत्री।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान,।
6. समस्त जिला कलक्टर एवं विभागाध्यक्षों को प्रेषित कर लेख है कि प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को दिनांक 20.07.2025 तक संलग्न प्रपत्र में प्रेषित किये जावें, ताकि प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत परीक्षण कर अपनी सिफारिश के साथ प्रस्ताव निर्धारित तिथि 25.07.2025 तक मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाए जा सके। प्रशासनिक विभाग की बिना टिप्पणी/सिफारिश के सीधे ही प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावेगी।
7. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज0, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
8. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Signature valid

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.06.18 14:34:32 IST
Reason: Approved

स्वाधीनता दिवस समारोह–2025 के अवसर पर जिला कलक्टरों, राज्य सरकार तथा सहकारी संस्थाओं/नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/मण्डलों/बोर्डों एवं जिला परिषदों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किए जाने के संबंध में भरा जाने वाला प्रपत्र।

---

1. (क) नामः
   (ख) पदनाम, पै–बैण्ड, वर्तमान वेतन एवं पे–मैट्रिक्स लेवल सहितः
   (ग) नियुक्ति के दिनांक से आज तक धारित किए गये पदः
   (घ) सेवा का नाम (राजपत्रित/अराजपत्रित):
   (ड.) घर का पताः
   (च) टेलीफोन नं0 (निवास/कार्यालय)/मोबाईल नं./ई–मेल
2. जन्म तिथिः
3. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीखः
4. ऐसे कार्य से संबंधित सूचना जिसके अधीन अभ्यर्थी के चयन के लिए विचार किया गया है।
5. जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण–पत्रः
   (क) अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
   (ख) अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व में दण्डित नहीं किया गया है।
   (ग) अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत/FIR/न्यायिक प्रकरण प्रक्रियाधीन है, यदि कोई हो, तो उसका विवरणः
6. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई हैः
7. सामान्य प्रतिष्ठा पुरस्कार दिये जाने की पात्रता रखते है या नहीं?
8. अन्य कोई सुसंगत सूचनाः
9. **विभागाध्यक्ष की टिप्पणीः**

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील एवं दिनांक

<u>प्रशासनिक विभाग द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि ....(अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम) को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 1 से 9 में अंकित विवरण की प्रशासनिक विभाग के स्तर पर सेवा अभिलेखानुसार पूर्णतः परीक्षण/जॉच कर ली गई है, जो सही है। साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इन्हें पूर्व में योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान नहीं किया गया है ।

उक्त प्रस्ताव पर प्रभारी मंत्री महोदय का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया है ।

Signature valid

अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
के हस्ताक्षर मय सील एवं दिनांक

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.06.18 14:34:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15903742